संख्या- 2/2017/एस-3-595/दस-2016-ब(5)/2016

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन , लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2017

विषय:- कोषागार गाजीपुर में नवीन कोषागार भवन में भू-तल पर डबल-सिंगल लॉक, गार्डरूम एवं बाथरूम/टायलेट का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 9/2016 /एस-3-61/दस-2016-ब(5)/2015 दिनांक 21-03-2016 के संदर्भ में अपने पत्र संख्या-2934/5844/21(192)/2008/गाजीपुर/को0नि0 बजट, दिनांक 29-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माण कार्य हेतु रू068,00,000.00 की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 34,00,000.00 की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 21-03-2016 प्रदान की गई थी । उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 34,00,000.00 (रूपये चौतिस लाख मात्र) निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन-051-निर्माण-03 प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य" के मानक मद-24 के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 2/2017/एस-3-595(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी ,गाजीपुर।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर ।
6- निर्वाचन आयोग अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
7- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।